



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
संचार मंत्रालय / MINISTRY OF COMMUNICATIONS
दूरसंचार विभाग / DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, मुंबई / O/o THE PR. CCA, MUMBAI
दूसरी मंजिल, सीटीओ बिल्डिंग, फोर्ट / 2ND FLOOR, CTO BUILDING, FORT
मुंबई-400 001 / MUMBAI - 400 001

ईमेल / Email: aopension-ccamum@gov.in टेली / Tele-02222645549, टोल फ्री / Toll Free-1800 223 211

NOTICE TO MTNL PENSIONERS

Submission of Know Your Pensioner (KYP) Form for Updating Pensioner Details in the SAMPANN Portal

1. All MTNL pensioners are hereby informed that this office has migrated the pension payment system from WFMS to SAMPANN with effect from 01.04.2026.
2. Due to this change, the old 5-digit PPO number has been replaced by a new 15-digit PPO number. The new PPO number has already been uploaded on the office website vide notice dated 13.04.2026. Pensioners are requested to use this new PPO number in all future correspondence relating to their pension.
3. Pensioners are requested to keep their mobile number, e-mail ID and postal address updated with this office. This will help them:
 - (i) receive timely information regarding Life Certificate submission, Digital Life Certificate (DLC) camps and other pension-related matters; and
 - (ii) access the SAMPANN portal to download pension slips, e-PPOs, Form-16, etc. (a valid mobile number is required for this purpose).
4. All MTNL pensioners who have not yet submitted the KYP (Know Your Pensioner) Form are requested to submit the duly filled form along with self-attested copies of the following documents:
 - (i) Aadhaar Card; and
 - (ii) PAN Card.
5. Please note that no change in non-pay related details, such as mobile number, e-mail ID, address, etc., will be carried out unless the duly filled KYP Form is submitted along with self-attested copies of Aadhaar Card and PAN Card.
6. The duly filled KYP Form, together with the documents, should reach the following address on or before 31.08.2026:

Accounts Officer (Pension)
O/o Pr. CCA, Mumbai
3rd Floor, Currey Road Telephone Exchange
Near Currey Road Bridge
Currey Road (East)
Mumbai – 400012


Deputy Controller of Communication Accounts

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

संचार मंत्रालय / MINISTRY OF COMMUNICATIONS

दूरसंचार विभाग / DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, मुंबई / O/o THE PR. CCA, MUMBAI

दूसरी मंजिल, सीटीओ बिल्डिंग, फोर्ट / 2ND FLOOR, CTO BUILDING, FORT

मुंबई-400 001 / MUMBAI - 400 001

ईमेल / Email: aopension-ccamum@gov.in टेली / Tele-02222645549, टोल फ्री / Toll Free-1800 223 211

एमटीएनएल (MTNL) पेंशनभोगियों के लिए सूचना

संपन्न पोर्टल में पेंशनभोगी के विवरण को अपडेट करने के लिए 'नो योर पेंशनर' (KYP) फॉर्म जमा करने के संबंध में

1. सभी एमटीएनएल पेंशनभोगियों को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय ने दिनांक 01.04.2026 से पेंशन भुगतान प्रणाली को WFMS से संपन्न (SAMPANN) में स्थानांतरित (migrate) कर दिया है।
2. इस बदलाव के कारण, पुराने 5-अंकीय पीपीओ (PPO) नंबर को एक नए 15-अंकीय पीपीओ नंबर से बदल दिया गया है। नया पीपीओ नंबर पहले ही कार्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 13.04.2026 के नोटिस के माध्यम से अपलोड किया जा चुका है। पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे अपनी पेंशन से संबंधित भविष्य के सभी पत्राचार में इस नए पीपीओ नंबर का उपयोग करें।
3. पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और डाक का पता इस कार्यालय में अपडेट रखें। इससे उन्हें मदद मिलेगी:
 - (i) जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) शिविरों और अन्य पेंशन संबंधी मामलों के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने में; और
 - (ii) संपन्न (SAMPANN) पोर्टल तक पहुंचने और पेंशन स्लिप, ई-पीपीओ (e-PPO), फॉर्म-16 आदि डाउनलोड करने में (इस उद्देश्य के लिए एक वैध मोबाइल नंबर आवश्यक है)।
4. उन सभी एमटीएनएल पेंशनभोगियों, जिन्होंने अभी तक केवाईपी (KYP - Know Your Pensioner) फॉर्म जमा नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (self-attested) प्रतियों के साथ जमा करें:
 - (i) आधार कार्ड; और
 - (ii) पैन कार्ड।
5. कृपया ध्यान दें कि जब तक विधिवत भरा हुआ केवाईपी (KYP) फॉर्म आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जमा नहीं किया जाता है, तब तक गैर-वेतन से संबंधित विवरणों जैसे कि मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पता आदि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
6. विधिवत भरा हुआ केवाईपी (KYP) फॉर्म, दस्तावेजों के साथ, दिनांक 31.08.2026 या उससे पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए:

लेखा अधिकारी (पेंशन)

प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय (O/o Pr. CCA), मुंबई
तीसरी मंजिल, करी रोड टेलीफोन एक्सचेंज,
करी रोड ब्रिज के पास, करी रोड (पूर्व),
मुंबई - 400012

उप संचार लेखा नियंत्रक

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

संचार मंत्रालय / MINISTRY OF COMMUNICATIONS

दूरसंचार विभाग / DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, मुंबई / O/o THE PR. CCA, MUMBAI

दूसरी मंजिल, सीटीओ बिल्डिंग, फोर्ट / 2ND FLOOR, CTO BUILDING, FORT

मुंबई-400 001 / MUMBAI - 400 001

ईमेल / Email: aopension-ccamum@gov.in टेली / Tele-02222645549, टोल फ्री / Toll Free-1800 223 211

एमटीएनएल (MTNL) पेन्शनधारकांसाठी सूचना

संपन्न पोर्टलवर पेन्शनधारकांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी 'नो युवर पेन्शनर' (KYP) फॉर्म सादर करण्याबाबत

- सर्व एमटीएनएल (MTNL) पेन्शनधारकांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, या कार्यालयाने दिनांक 01.04.2026 पासून पेन्शन वितरण प्रणाली WFMS वरून संपन्न (SAMPANN) पोर्टलवर स्थलांतरित (migrate) केली आहे.
- या बदलामुळे, जुना 5-अंकी पीपीओ (PPO) क्रमांक बदलून त्याऐवजी नवीन 15-अंकी पीपीओ क्रमांक देण्यात आला आहे. नवीन पीपीओ क्रमांक कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिनांक 13.04.2026 रोजीच्या सूचनेद्वारे आधीच अपलोड करण्यात आला आहे. पेन्शनधारकांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या पेन्शनशी संबंधित पुढील सर्व पत्रव्यवहारात या नवीन पीपीओ क्रमांकाचा वापर करावा.
- पेन्शनधारकांनी त्यांचा मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी आणि टपालाचा पत्ता या कार्यालयाकडे अद्ययावत (update) ठेवावा, अशी विनंती आहे. यामुळे त्यांना पुढील गोष्टींसाठी मदत होईल:
 - (i) जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करणे, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) शिबिरे आणि पेन्शनशी संबंधित इतर बाबींविषयी वेळेवर माहिती मिळणे; आणि
 - (ii) पेन्शन स्लिप, ई-पीपीओ (e-PPO), फॉर्म-१६ इत्यादी डाउनलोड करण्यासाठी संपन्न (SAMPANN) पोर्टलवर लॉगइन करणे (यासाठी वैध मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे).
- ज्या एमटीएनएल पेन्शनधारकांनी अद्याप केवायपी (KYP - Know Your Pensioner) फॉर्म सादर केलेला नाही, त्यांनी पूर्ण भरलेला फॉर्म खालील कागदपत्रांच्या स्व-साक्षात्कृत (self-attested) प्रतींसह सादर करावा:
 - (i) आधार कार्ड; आणि
 - (ii) पॅन कार्ड.
- कृपया नोंद घ्यावी की, पूर्ण भरलेला केवायपी (KYP) फॉर्म आधार कार्ड आणि पॅन कार्डच्या स्व-साक्षात्कृत प्रतींसह सादर केल्याशिवाय, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी, पत्ता इत्यादी बिगर-वेतनविषयक तपशीलांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही.
- पूर्ण भरलेला केवायपी (KYP) फॉर्म आवश्यक कागदपत्रांसह दिनांक 31.08.2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी खालील पत्त्यावर पोहोचणे आवश्यक आहे:
 - लेखा अधिकारी (पेन्शन)
 - प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय (O/o Pr. CCA), मुंबई
 - तिसरा मजला, करी रोड टेलिफोन एक्सचेंज,
 - करी रोड ब्रीज जवळ, करी रोड (पूर्व),
 - मुंबई - ४०००१२


उप संचार लेखा नियंत्रक